

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
माननीय मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

जुलाई-सितम्बर 2026

सहकार संवाद

अंक-त्रैमासिक, वर्ष-01

फसल बीमा विशेषांक

निबंधक की कलम से...

फसल सुरक्षित, किसान निश्चिंत

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : कृषि जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा की नई उम्मीद

झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य के बड़ी संख्या में किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। अनियमित मानसून, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।

फसल बीमा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (BPMFBY) के अंतर्गत पात्र किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाता है और निर्धारित प्रीमियम के भुगतान के बदले बीमित जोखिमों के अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान होता है।

झारखंड में फसल बीमा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किसानों में जागरूकता, समय पर नामांकन, सही फसल एवं क्षेत्र का विवरण, पारदर्शी फसल कटाई प्रयोग तथा समयबद्ध दावा निपटान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सहकारी समितियां, PACS, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), कृषक मित्र, चयनित बीमा कम्पनियां और पंचायत स्तर की संस्थाएं किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए किसान गोष्ठी, कृषक जागरूकता रथ, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, हैण्डबिल के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

फसल बीमा केवल क्षतिपूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि कृषि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यदि इसमें किसानों को व्यापक भागीदारी के साथ जोड़ा जाए, तो यह झारखंड के किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होगा।

शुभकामनाओं सहित!

शशि रंजन (भा.प्र.से)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
झारखण्ड, राँची।







बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

झारखण्ड राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में खरीफ मौसम से राज्य में पुनः क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई में किसानो की सहायता करना।
2. किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करना।
3. किसानों को कृषि में निरंतर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में किसानों का विश्वास बढ़ाना।
5. फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक एवं ऋण संबंधी दबाव को कम करना।
6. कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
7. किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
8. राज्य में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बनाए रखने में सहयोग करना।

अधिसूचित क्षेत्रो का चयन

झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

फसल का चयन

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत निम्न फसल आच्छादित हैं।

I. खरीफ

क्र0	फसल	बीमा इकाई	क्षतिपूर्ति स्तर
1	अगहनी धान (मुख्य फसल)	ग्राम पंचायत	80%
2	भदई मकई (गौण फसल)	प्रखण्ड	80%

II. रबी

क्र0	फसल	बीमा इकाई	क्षतिपूर्ति स्तर
1	गेहूँ (मुख्य फसल)	ग्राम पंचायत	80%
2	आलू, राई–सरसों एवं चना (गौण फसल)	प्रखण्ड	80%

बीमित राशि की सीमा

इस योजना अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित Scale of Finance के समान है तथा बीमित क्षेत्र की ईकाइ हेक्टेयर में रहेगी।

शामिल किये जाने वाले कृषक

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक आच्छादित होंगे। गैर ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा हेतु आवेदन के साथ हस्ताक्षरित स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

कृषक अपने कृषि योग्य भूमि पर अधिसूचित फसल/फसलों के लिए केवल एक बार बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक ही रकबे की एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं है।

आच्छादन का माध्यम

ऋणी कृषकों के लिए सभी Schedule Commercial Bank, Jharkhand State Cooperative Bank Ltd., Dhanbad Central cooperative Bank Ltd., Gramin Bank के द्वारा KCC धारक कृषकों का बीमा किया जायेगा। गैर ऋणी कृषक द्वारा सहकारी साख समितियाँ, Schedule Commercial Bank, Jharkhand State Cooperative Bank Ltd., Dhanbad Central cooperative Bank Ltd., Gramin Bank, प्रज्ञा केन्द्र (CSC), Post Office, Insurance Company एवं योजना के लिए NCIP Portal – www.pmfby.gov.in पर Online स्वतः आवेदन Farmer Login के माध्यम से किया जा सकता है।

किसानों का नामांकन के लिए NCIP Portal पर डिजिटल भूमि अभिलेखों (Digital Land Records) के एकीकरण की प्रक्रिया की जा रही हैं। एकीकरण के पश्चात् Farmer Enrollment, Digital, Land Record के साथ की जायेगी।

बीमा कराने हेतु चयनित जिलावार बीमा एजेंसी :

क्ल0 सं0	जिला का नाम	चयनित बीमा कम्पनी
I	देवघर	Go Digit General Insurance Company Ltd
II	गढ़वा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा	SBI General Insurance Company Ltd.
III	गोड्डा, बोकारो, लातेहार, चतरा	Tata-AIG General Insurance Compant Ltd.
IV	दुमका, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला –खरसांवा	SBI General Insurance Company Ltd.
V	पाकुड़, राँची, सिमडेगा, खूँटी	Oriental Insurance Compant Ltd.
VI	साहेबगंज, पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम	Bajaj General Insurance Company Ltd.
VII	गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग, धनबाद	SBI General Insurance Company Ltd.

प्रीमियम

भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अुनसार कृषकों की हिस्सेदारी के प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। आवेदक कृषकों के बैंक खाते के सत्यापन हेतु Token राशि के रूप में एक (01) रूपये मात्र ली जाएगी।

क्र0 सं0	मौसम	फसल	प्रीमियम की राशि प्रतिशत में
01	खरीफ	अगहनी धान, भदई मकई	बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
02	रबी	गेहूँ, राई –सरसों, चना	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
03	रबी	आलू	बीमित राशि का 5.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो

किसानों के नामांकन की मान्य अवधि

योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में कवरेज अवधि निम्नवत निर्धारित की गई है:–

खरीफ 2026

(क) **ऋणी किसान हेतु:**– खरीफ 2026 के लिए ऋण स्वीकृति/नवीकृत लाभ की अवधि 01.04.2026 से 31.07.2026 (विस्तारित अवधि 31 अगस्त, 2026 तक)

(ख) **गैर ऋणी किसानः**– खरीफ 2026 शामिल होने हेतु 01.04.2026 से 31.07.2026 (विस्तारित अवधि 31 अगस्त, 2026 तक)

रबी 2026–27

(क) **ऋणी किसान हेतु:**– रबी 2026–27 के लिए ऋण स्वीकृति/नवीकृत लाभ की अवधि 01.10.2026 से 31.12.2026

(ख) **गैर ऋणी किसानः**– रबी 2026–27 शामिल होने हेतु 01.10.2026 से 31.12.2026

फसल बीमा आच्छादन हेतु चयनित बैंक

राज्य के सभी व्यावसायिक बैंक (सरकारी एवं प्राईवेट), झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, धनबाद सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि0, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कृषि ऋण आवंटन शाखा को अधिकृत गया है।

फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक कागजात

1. गैर ऋणी कृषको को प्रस्ताव पत्र के साथ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाणपत्र (नवीनतम)/रसीद (नवीनतम), अभिप्रमाणित वंशावली की छायाप्रति।
2. काश्तकार, बटाईदार द्वारा पट्टा/बटाई संबंधी भूमि प्रमाणपत्र (नोटराईज्ड शपथ पत्र) के साथ प्रस्ताव पत्र।
3. भूमि प्रमाणपत्र उपलब्ध न रहने कि स्थिति में मुखिया/प्रधान से सत्यापित वंशावली एवं भूमि विवरणी।

जोखिमों का आच्छादन

भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार बाधित रोपाई/रोपण जोखिम, फसल कटाई के उपरांत हाने वाले नुकसान, स्थानीय आपदाएं एवं फसल उपजदर के आधार पर व्यापक क्षति हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा।

क्षति का मूल्यांकन / निर्धारण / भुगतान की प्रक्रिया

योजना के प्रावधानो के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

- बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में
- स्थानीय आपदाएं की स्थिति में
- प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर फसल उपजदर के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में

फसल कटनी प्रयोग

फसल कटनी प्रयोग के माध्यम से क्षेत्र विशेष में लगी हुई फसल विशेष का उपजदर निकाला जाता है। Crop Cutting Experiment (फसल कटनी प्रयोग) हेतु नोडल विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची है तथा शत–प्रतिशत फसल कटनी प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप्प (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित कराई जायेगी। किन्हीं कारणों से माबाईल एप्प (CCE Agri App) के माध्यम से फसल कटाई के आंकड़े दर्ज नहीं होने पर प्रपत्र II के आधार पर बीमा ईकाइवार आंकलित औसत उपज का उपयोग दावा गणना में किया जाएगा। वैसी फसल जिसका बीमा ईकाइ ग्राम पंचायत है यथा अगहनी धान (खरीफ) एवं गेंहूँ (रबी), उसमें प्रति पंचायत 4 फसल कटनी प्रयोग (CCE) तथा जिस फसल का बीमा इकाई प्रखण्ड है यथा भदई मकई (खरीफ) तथा आलू, राईं–सरसों एवं चना (रबी) प्रति प्रखण्ड 16 फसल कटनी प्रयोग किया जायेगा।

फसल कटनी प्रयोग में तीन स्तर पर Random Sampling Method का प्रयोग किया जाता है – i) गाँव का चुनाव, ii) खेसरा का चुनाव, iii) Cut Area (10x5मी. या 5x5मी.) का चुनाव।

i) गाँव का चुनाव – यह कार्य निदेशालय स्तर के TRS (Timely Reporting Scheme) गाँव में ही किया जाता है तथा इसकी सूची प्रत्येक जिला को अंचलवार भेज दी जाती है। प्रत्येक अंचल से कम से कम 16 (सोलह) गाँव चुने जाते हैं। अंचल में जितने गाँवों में प्रयोग करना निश्चित किया जाता है, उससे दूने गाँवों का चयन किया जाता है।

ii) खेसरा का चुनाव – चुने हुए गाँव में दो खेसरा का चुनाव किया जाता है जिसके लिए प्रत्येक गाँव के सामने 4 अंकों की दो Random Number दी जाती है। यह कार्य जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा इसकी सूची प्रत्येक अंचल/प्रखण्ड में भेज दी जाती है।

उदाहरण के लिए – पिठौरिया – 0839, 5012, बोडेया – 3631, 2727

खेसरा के चुनाव में गाँव के उच्चतम खेसरा संख्या एवं गाँव के सामने दी गई 4 अंकों की Random Number का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है–

क) यदि Random Number ≤ Highest Plot हो तो Random Number वाली खेसरा को ही प्रयोग के लिए चुना जाता है।

ख) यदि Random Number > Highest Plot हो ताक Highest Plot से Random Number में भाग देने पर जो शेष बचता है उसे प्रयोग के लिए चुना जाता है।

ग) यदि Random Number में Highest Plot से भाग देने पर पूरा–पूरा लग जाय अर्थात् शेष शून्य हो तो उच्चतम खेसरा को प्रयोग के लिए चुना जाता है।

पिठौरिया

Highest Plot - 1253

1253	0839
	0839

1253	5012	4
	5012	
	0	

बोडेया

Highest Plot - 907

907	3631	4
	3628	
	3	

1253	2727	4
	2721	
	6	

यदि उपर्युक्त विधि से प्राप्त किसी एक अथवा दोनों खेसरा संख्याओं में अपेक्षित फसल नहीं लगी हो या इनमें 10x5मी. या 5x5मी. का Cut Area का निर्धारण संभव नहीं हो तो इसके बाद वाली खेसरा संख्याओं को चुना जाता है। फसल क्षीण होना या मिली–जुली फसल का होना आदि कारणों से खेसरा को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

प्रयोगात्मक भूखण्ड (Cut Area) का निर्धारण – चुने गये खेसरा में प्रयोगात्मक भूखण्ड के निर्धारण हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जो ग्राम सूची अंचलों में भेजते हैं उसमें प्रत्येक अंचल के लिए उसके अग्रभाग में Random Number के एक स्तम्भ का उल्लेख कर देते हैं।

प्रयोगात्मक भूखण्ड फसलों के अनुसार दो आकार का बनाया जाता है:–

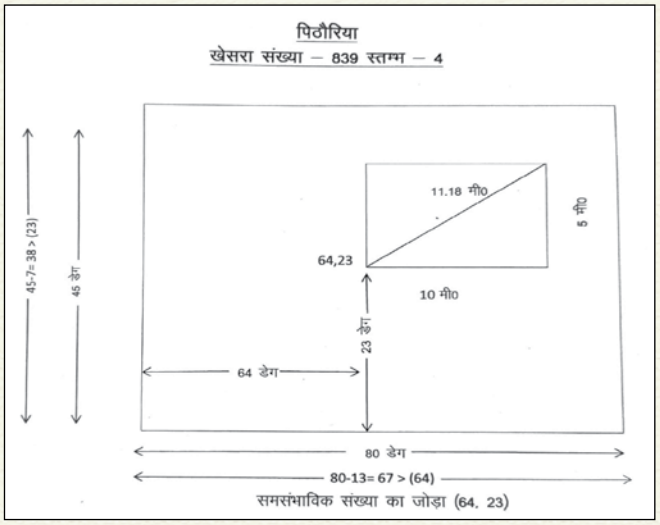
10x5मी. – धान, गेंहूँ, चना, मकई आदि।

5x5मी. – राई, सरसों, आलू इत्यादि।

प्रयोगात्मक फसल के भूखण्ड निर्धारण में दो स्थितियाँ होती है :–

- **बिना पंक्तियों वाला फसल**
- **पंक्तियों वाला फसल**
- **बिना पंक्तियों वाला फसल** – चुने गये कीते के दक्षिण–पश्चिम कोना से कीते की लम्बाई और चौड़ाई को डेगों में मापते हैं। अगर 10x5मी. का भूखण्ड बनाना हो तो लम्बाई से 13 डेग और चौड़ाई से 7 डेग घटाकर क्रमशः शेष निकाला जाता है।

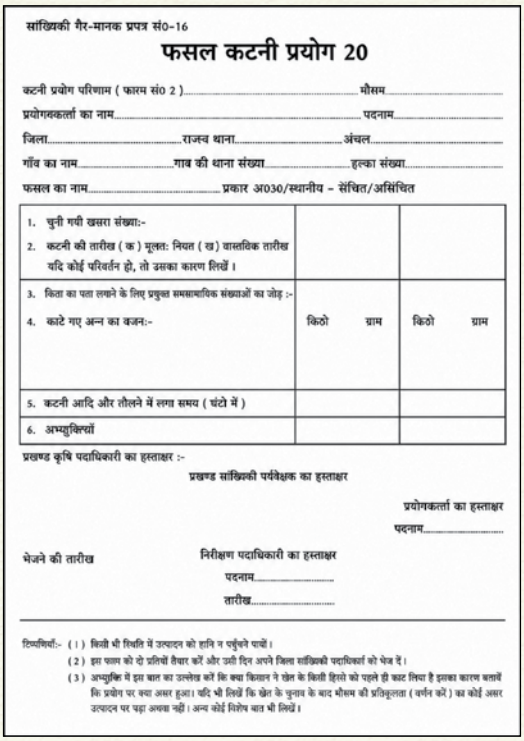
 फिर दिये गये समसंभाविक संख्या तालिका के स्तम्भ से देसी दो संख्याओं को चुना जाता है जो प्राप्त लम्बाई तथा चौड़ाई शेषों से अधिक न हो। अब लम्बाई के लिए प्राप्त समसंभाविक संख्या के अनुसार कीते के दक्षिण–पश्चिम कोना से लम्बाई की दिशा में उतना ही डेग चलकर रूक जाते हैं। फिर वहाँ से चौड़ाई की दिशा में उतना ही डेग चलते हैं जितना चौड़ाई के लिए समसंभाविक संख्या प्राप्त हुई। यही प्रयोगात्मक खण्ड का दक्षिण–पश्चिम कोना है। इस बिन्दु से कीते की लम्बाई की दिशा में 10मी. की दूरी और चौड़ाई में 5मी. मी दूरी लेकर एक आयत बनाते हैं जिसमें फसल कटनी प्रयोग सम्पादित होता है।







फसल कटनी प्रयोग हेतु प्लॉट चयन



सांख्यिकी गैर-मानक प्रपत्र सं0-16

फसल कटनी प्रयोग 20

कटनी प्रयोग परिणाम (फारम सं0 2)..... मौसम.....

प्रयोगकर्ता का नाम..... पदनाम.....

जिला..... राजस्व थाना..... अंचल.....

गाँव का नाम..... गाव की थाना संख्या..... हल्का संख्या.....

फसल का नाम..... प्रकार अ030/स्थानीय - सेंचित/असिंचित

1. चुनी गयी खसरा संख्या:-		
2. कटनी की तारीख (क) मूलतः नियत (ख) वास्तविक तारीख यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसका कारण लिखें।		
3. किता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त समसांभाविक संख्याओं का जोड़ :-		
4. काटे गए अन्न का वजन:-	किठो ग्राम	किठो ग्राम
5. कटनी आदि और तौलने में लगा समय (घंटो में)		
6. अभ्युक्तियाँ		

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

प्रयोगकर्ता का हस्ताक्षर

पदनाम.....

भेजने की तारीख

निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

टिप्पणियाँ:- (1) किसी भी स्थिति में उत्पादन को हानि न पहुँचने पायें।
(2) इस पत्रक को दो प्रतियाँ तैयार करें और उसी दिन अपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेज दें।
(3) अभ्युक्ति में इस बात का उल्लेख करें कि क्या किसान ने खेत के किसी हिस्से को पहले ही काट लिया है इसका कारण बतायें कि प्रयोग पर क्या असर हुआ। यदि भी लिखें कि खेत के चुनाव के बाद मौसम की प्रतिकूलता (वर्णन करें) का कोई असर उत्पादन पर पड़ा अथवा नहीं। अन्य कोई विशेष बात भी लिखें।

प्रपत्र–II

अधिसूचित फसलों के लिए फसल कैलेंडर

फसल का मौसम	फसल का नाम	बुआई की अवधि	कटाई की अवधि
खरीफ 2026	अगहनी धान	15 मई से 15 अगस्त	01 अक्टूबर – 30 नवम्बर
	भदई मकई	15 मई – 30 जून	01 अक्टूबर – 30 नवम्बर
रबी 2026–27	गेहूँ	15 नवम्बर – 20 दिसम्बर	15 मार्च – 10 अप्रैल

फसल का मौसम	फसल का नाम	बुआई की अवधि	कटाई की अवधि
रबी 2026–27	राई–सरसों	20 अक्टूबर – 20 नवम्बर	01 फरवरी – 15 फरवरी
	चना	10 नवम्बर – 30 नवम्बर	10 फरवरी – 10 मार्च
	आलू	25 अक्टूबर – 15 नवम्बर	28 फरवरी तक

'सुरक्षित किसान' 'सुरक्षित फसल' 'समृद्ध झारखण्ड'

B-PMFBY Kharif 2026 Progress Report as per GoI/NCIP Portal

Sr. No.	District Name	Kharif 2025 Encollment (DLMC Approved)		
		Farmers Count	Total Application	Area Insured (Ha.)
1	Bokaro	34,025	37,616	19,816
2	Chatra	50,973	57,246	26,344
3	Deoghar	1,44,124	2,35,440	44,673
4	Dhanbad	69,445	86,303	27,586
5	Dumka	1,19,441	1,52,338	63,741
6	East Singhbhum	59,817	99,241	42,586
7	Garhwa	93,610	1,04,972	55,680
8	Giridih	95,463	1,11,789	65,143
9	Godda	40,239	51,762	39,585
10	Gumla	40,305	46,000	45,876
11	Hazaribagh	72,746	86,557	60,745
12	Jamtara	62,196	81,240	38,114
13	Khunti	31,848	40,206	28,125
14	Koderma	24,976	28,178	14,166
15	Latehar	36,343	43,814	30,611
16	Lohardaga	30,993	40,711	17,411
17	Pakur	48,576	52,688	16,775
18	Palamu	79,549	89,944	55,927
19	Ramgarh	35,366	45,826	19,847
20	Ranchi	87,932	1,06,207	71,468
21	Sahebganj	33,956	37,359	25,281
22	Saraikela Kharsawan	45,879	57,243	45,408
23	Simdega	28,886	39,746	28,102
24	West Singhbhum	56,079	83,426	48,514
Grand Total		14,22,767	18,15,852	9,31,524

Kharif 2026 Achievement as compared to Kharif 2025 coverage (as on 04-Sep-2026)

Farmers Count	Total Application	Area Insured (Ha.)	Farmers Count (%)	Total Application (%)	Area Insured (Ha.) (%)
34,696	38,676	21,634	102%	103%	109%
44,184	50,260	35,647	87%	88%	135%
1,66,132	2,61,254	1,18,912	115%	111%	266%
33,540	40,824	30,065	48%	47%	109%
94,658	1,48,006	85,576	79%	97%	134%
51,668	73,632	39,962	86%	74%	94%
81,949	1,01,425	73,107	88%	97%	131%
1,99,504	2,58,082	1,64,528	209%	231%	253%
56,084	65,138	50,728	139%	126%	128%
32,949	39,541	31,666	82%	86%	69%
56,047	70,065	51,334	77%	81%	85%
50,384	59,918	40,392	81%	74%	106%
25,121	32,654	24,669	79%	81%	88%
26,502	32,188	17,025	106%	114%	120%
29,150	36,237	22,059	80%	83%	72%
24,945	34,703	16,861	80%	85%	97%
29,741	34,178	24,007	61%	65%	143%
68,579	81,359	77,406	86%	90%	138%
24,398	30,613	24,637	69%	67%	124%
70,752	85,464	60,534	80%	80%	85%
34,310	43,715	32,137	101%	117%	127%
40,377	46,744	32,931	88%	82%	73%
17,850	23,802	17,599	62%	60%	63%
53,959	74,880	54,056	96%	90%	111%
13,47,479	17,63,358	11,47,471	95%	97%	123%

Note : Area Insured reflected here is a comparatie figure. It may changes as per 2026 sowing area of respective district.

Claim Report B-PMFB

District wise Kharif 2024 claim;

Sr. No.	Season	Discrict Name	Claim Paid (Lakh)	Claim Paid framers count
1	Kharif 2024	Bokaro	73.97	1021
2	Kharif 2024	Chatra	274.88	3597
3	Kharif 2024	Dhanbad	0.41	5
4	Kharif 2024	East Singhbhum	332.97	5176
5	Kharif 2024	Garhwa	31.16	372
6	Kharif 2024	Godda	382.39	4412
7	Kharif 2024	Latehar	699.60	6231
8	Kharif 2024	Pakur	10.69	2435
9	Kharif 2024	Palamu	55.67	452
10	Kharif 2024	Ranchi	26.32	1017
11	Kharif 2024	Sahebganj	6.91	156
12	Kharif 2024	Saraikela Kharsawan	46.08	1128
13	Kharif 2024	West Singhbhum	0.04	1
Grand Total			**1,941.09**	**26,003**

District wise Rabi 2024-25 claim;

Sr. No.	Season	Discrict Name	Claim Paid (Lakh)	Claim Paid framers count
1	Rabi-2024-25	Deoghar	12.23	34
2	Rabi-2024-25	Dhanbad	0.15	1
3	Rabi-2024-25	Dumka	0.22	1
4	Rabi-2024-25	East Singhbhum	43.61	510
5	Rabi-2024-25	Garhwa	285.39	2540
6	Rabi-2024-25	Giridih	20.05	30
7	Rabi-2024-25	Godda	0.18	47
8	Rabi-2024-25	Gumla	0.09	2
9	Rabi-2024-25	Hazaribagh	0.21	30
10	Rabi-2024-25	Koderma	28.11	138
11	Rabi-2024-25	Lohardaga	76.58	542
12	Rabi-2024-25	Pakur	0.02	1
13	Rabi-2024-25	Palamu	102.04	1387
14	Rabi-2024-25	Ramgarh	1.70	66
15	Rabi-2024-25	Ranchi	6.45	92
16	Rabi-2024-25	Sahebganj	15.44	341
17	Rabi-2024-25	Saraikela Kharsawan	6.24	121
18	Rabi-2024-25	West Singhbhum	56.43	606
Grand Total			**655.14**	**6489**

District wise Kharif 2025 claim;

Sr. No.	Season	District Name	Claim payable (Lakh)	Claim Paid (Lakh)	Claim Paid farmers count	Pending claim amount (Lakh)
1	Kharif 2025	Bokaro	0.09	0.09	1	-
2	Kharif 2025	Chatra	4.35	4.35	59	-
3	Kharif 2025	Deoghar	443.80	181.80	8222	262.00
4	Kharif 2025	Dhanbad	2.63	0.90	27	1.73
5	Kharif 2025	Dumka	2040.02	597.75	43.894	1442.26
6	Kharif 2025	East Singhbhum	360.39	171.89	3767	188.50
7	Kharif 2025	Garhwa	704.36	354.95	25480	349.41
8	Kharif 2025	Giridih	1112.26	320.11	17714	792.15
9	Kharif 2025	Godda	16.53	16.53	70	-
10	Kharif 2025	Gumla	0.69	0.26	5	0.42
11	Kharif 2025	Hazaribagh	6.33	1.84	134	4.49
12	Kharif 2025	Jamtara	23.39	7.52	1203	15.87
13	Kharif 2025	Khunti	36.51	10.43	295	26.07
14	Kharif 2025	Koderma	112.70	65.78	2782	46.91
15	Kharif 2025	Latehar	0.07	0.07	1	-
16	Kharif 2025	Lohardaga	80.93	80.21	180	0.73
17	Kharif 2025	Pakur	18.95	6.62	175	12.33
18	Kharif 2025	Palamu	143.03	78.59	6916	64.44
19	Kharif 2025	Ramgarh	25.23	11.11	243	14.12
20	Kharif 2025	Ranchi	224.57	63.81	3141	160.76
21	Kharif 2025	Sahebganj	170.87	68.78	2462	102.09
22	Kharif 2025	Saraikela Kharsawan	0.40	0.15	5	0.26
23	Kharif 2025	Simdega	14.99	4.95	402	10.04
24	Kharif 2025	West Singhbhum	306.63	125.66	1608	180.97
Kharif 2025		**Grand Total**	**5849.69**	**2174.15**	**118786**	**3675.53**

Note : State Subsidy payment is under process, pending claim is also under process.

District wise Rabi 2025-26 claim;

Sr. No.	Season	District Name	Claim payable (Lakh)	Claim Paid (Lakh)	Claim Paid farmers count	Pending claim amount (Lakh)
1	Rabi 2025-26	Bokaro	0.03	-	0	0.03
2	Rabi 2025-26	Deoghar	203.31	-	0	203.31
3	Rabi 2025-26	Dumka	0.39	0.08	40	0.31
4	Rabi 2025-26	East Singhbhum	1.02	0.82	18	0.20
5	Rabi 2025-26	Garhwa	15.42	14.89	195	0.53
6	Rabi 2025-26	Rigidih	23.04	6.22	7	16.82
7	Rabi 2025-26	Godda	2.00	-	0	2.00
8	Rabi 2025-26	Gumla	0.17	0.05	1	0.12
9	Rabi 2025-26	Hazaaribagh	0.96	0.37	77	0.59
10	Rabi 2025-26	Khunti	0.11	0.03	20	0.08
11	Rabi 2025-26	Koderma	2.74	2.74	22	-
12	Rabi 2025-26	Latehar	0.07	-	0	0.07
13	Rabi 2025-26	Lohardaga	8.76	5.25	105	3.51
14	Rabi 2025-26	Pakur	0.67	0.18	8	0.49
15	Rabi 2025-26	Palamu	52.70	49.53	509	3.17
16	Rabi 2025-26	Ramgarh	41.88	21.06	85	20.82
17	Rabi 2025-26	Ranchi	0.76	0.20	1	0.55
18	Rabi 2025-26	Sahebganj	9.93	6.95	198	2.98
19	Rabi 2025-26	Simdega	0.11	0.03	1	0.08
Rabi 2025-26		**Grand Total**	**364.07**	**108.40**	**1287**	**255.67**

Note : 1. Payable claim is as on 27th Sept 2026 as per NCIP portal

Benefited Farmers Testimony



मेरा नाम **अमरनाथ पाण्डेय,** पिता उपेन्द्रनाथ पाण्डेय, निवासी ग्राम मोहनपुर, ग्राम पंचायत नवाडीह, ब्लॉक एवं जिला देवघर है। मैंने खरीफ 2025 में अपनी धान की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था। फसल पकने के बाद कटाई कर खेत में सुखाने के लिए रखी थी, तभी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान हुआ। मैंने 72 घंटे के अंदर रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज कराई। 5-6 दिन बाद बीमा कम्पनी एवं सरकारी कर्मचारियों ने फसल का सर्वे किया और मुझे ₹23,656.91 की बीमा राशि प्राप्त हुई। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं बीमा कम्पनी से बहुत प्रसन्न हूँ। यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएँ। सरकार एवं बीमा कम्पनी को मेरी ओर से धन्यवाद।



मेरा नाम **गोखुल मंडल,** पिता बहादुर मंडल, निवासी ग्राम ताराबाद, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर है। मैंने खरीफ 2025 में धान की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षतिग्रस्त होने पर मैंने 72 घंटे के अंदर हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सरकारी एवं बीमा कम्पनी के कर्मचारियों ने खेत का सर्वे किया और मुझे ₹17,908 की बीमा राशि प्राप्त हुई। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत प्रसन्न हूँ। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सभी किसानों से अनुरोध है कि अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएँ। सरकार एवं बीमा कम्पनी को मेरी ओर से धन्यवाद।



मेरा नाम **परमेश्वर साव,** पिता बच्चू साव, ग्राम सरदारोडीह, पंचायत अरागारो, ब्लॉक चंदवारा एवं जिला कोडरमा है। मैंने खरीफ 2025 में अगहनी धान एवं भदई मकई का फसल बीमा कराया था। धान की फसल पकने के बाद खेत में कटाई कर सुखने के लिए छोड़ा था, लेकिन चक्रवाती वर्षा से फसल क्षति हुई थी। हेल्पलाईन पर शिकायत करने के बाद फसल का सर्वे हुआ और मुझे ₹ 24,000 बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में मिला। इसी तरह खरीफ 2025 में 1 एकड़ में भदई मकई लगाया था। फसल कटनी प्रयोग के बाद भदई मकई के उपज में हुए क्षति के आधार पर ₹1,472 क्षतिपूर्ति के रूप में मिला था। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।

सभी किसानों से अनुरोध है कि अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएँ। सरकार एवं बीमा कम्पनी को मेरी ओर से धन्यवाद।

सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (SIDHKFOED)

सिद्धकोफेड त्रिस्तरीय शीर्ष सहकारी संगठन है। जिसमें पंचायत स्तर पर लैम्प्स/पैक्स एवं जिला स्तर पर सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड इससे सम्बद्ध है। सिद्धकोफेड के गठन का उद्देश्य सदस्यों तथा अन्य स्रोतों से कृषि उत्पाद एवं वनोपज का क्रय, संग्रहण, भंडारण, श्रेणीकरण, परिवहन, वितरण एवं विपणन करना है।

सिद्धकोफेड की गतिविधियाँ

किसानों एवं वनोपज संग्राहको को बाजार से जोड़ने की सुदृढ़ व्यवस्था, उत्पादन से विपणन तक सम्पूर्ण सहयोग।	वर्ष 2025–26 में MPCS के माध्यम से रागी, करंज बीज, साल बीज एवं फूड ग्रेड महुआ की खरीददारी कर किसानों एवं वनोपज संग्राहकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया गया।
किसानों पर वनोपज संग्राहकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से लाह की खेती का प्रशिक्षण एवं शत प्रतिशत अनुदान पर टूलकिट और लाह बीहन का वितरण
1,000 से अधिक किसानों को मुधमक्खी पालन प्रशिक्षण एवं शत प्रतिशत अनुदान पर टूलकिट्स का वितरण।	शहद कम्पनियों के साथ साझेदारी पर बिक्री की स्थायी व्यवस्था।
MPCS के सदस्य किसानों के लिए फिल्ड विजिट एवं विभिन्न प्रेरक कार्यक्रम	ICAR संस्थाओं में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम
झारखण्ड के प्रत्येक ब्लॉक में MPCS को FPO के रूप में क्रियाशील कर सभी जिला संघो में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया गया।	NCOL (National Cooperative Organics Ltd.), NCEL (National Cooperative Exports Ltd.) और BBSSL (Bharatiya Beej Sahkari Sangh Ltd.) जैसे संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य के किसानों के आर्गेनिक उत्पाद को बाजार के साथ जोड़ने की व्यवस्था एवं उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने की योजना है।
प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण के साथ टिकाऊ खेती एवं वनोपज संग्रहण को प्रोत्साहन दिया गया।	

सिद्धकोफेड की गतिविधियाँ


मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण एवं टूलकीट्स वितरण


बंदगाँव हटिया में करंज बीज खरीददारी


महूआ खरीददारी


लाह खेती हेतु टूलकीट्स वितरण



पंडरी पंचायत में फूडग्रेड महुआ संग्रहण


MPCS सदस्यों का छत्तीसगढ़ शैक्षणिक भ्रमण



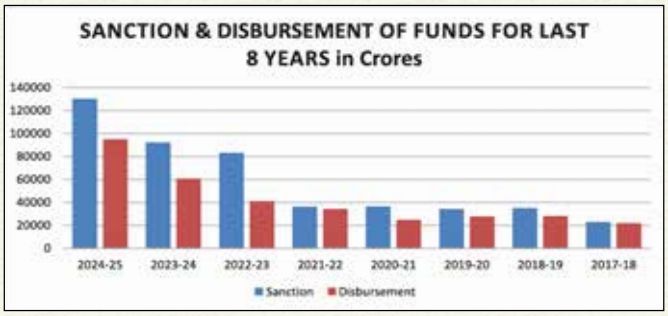
MPCS सदस्यों को प्रशिक्षण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम – एक संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) की स्थापना मार्च, 1963 में संसद के अधिनियम रा.स.वि.नि. अधिनियम 1962 के तहत की गई है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों में स्थापित है। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करने तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है।

निगम कृषि क्षेत्र में विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कृषि इनपूट यथा बीज एवं उर्वरक आपूर्ति तथा अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। निगम गैर कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि तथा कुछ अधिसूचित सेवाओं जैसे जल संरक्षण कार्यों, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की रोकथाम, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, श्रम सहकारिताएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, ऊर्जा के नए गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों द्वारा बिजली का उत्पादन एवं संवितरण, ग्रामीण आवास, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा सहकारिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आय सृजित कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रयासरत है।

रा.स.वि.नि. निर्धारित सेवा एवं शर्तों के आधार पर सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. ऋण (आवधिक ऋण तथा निवेश ऋण) तथा सब्सिडी (भारत सरकार से उपलब्धतानुसार) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।



भाग क : निगम प्रायोजित योजना

सहायता प्राप्त गतिविधियां

रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (आवधिक ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऋण घटक रा.स.वि.नि. के स्वयं की निधि से प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र सब्सिडी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के समन्वय के पश्चात प्रदान की जाती है। रा.स.वि. नि. द्वारा सहायता प्रदत्त गतिविधियों की सूची इस प्रकार है:-

क) विपणन
ख) प्रसंस्करण
ग) भंडारण
घ) शीत श्रृंखला
ड) औद्योगिक

च) सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

छ) ऋण एवं सेवा सहकारिताएं/अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण/कृषि बीमा।
- जल संरक्षण कार्य/सेवाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई।
- पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल-जल व्ययन प्रणाली।
- पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन।
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवासीकरण।
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा।
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना निर्माण।

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता।

झ) कृषक सेवाएं:

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र।
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र।
- कृषि निविष्टियों के उत्पादन एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना।
- सिंचाई/जल संग्रहण कार्यक्रम।

ञ) कमजोर वर्गों की सहकारिताएं:

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु. जा., जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताएं।

ट) सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता

ठ) संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम

प्रबंध निदेशक, रा.स.वि.नि. के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा बैठक

दिनांक 03.09.2026 को राँची में श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार सह प्रबंध निदेशक, रा.स.वि.नि. द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक, रा.स.वि.नि. झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, प. बंगाल तथा झारखण्ड के शीर्ष सहकारी संघों के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।

झारखण्ड में रा.स.वि.नि.द्वारा सहकारिता प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचना निर्माण मद के तहत 200 पैक्सों में 100 मेट्रिक टन गोदाम निर्माण में वित्तीय सहायता तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत 147 मत्स्यजीवि सहयोग समितियों को फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑरगेनाईजेशन (FFPO's) में उन्नयन कर प्रति FFPO's रू. 2,00,000 अनुदान मद में देने की योजना है।





प्रबंध निदेशक रा.स.वि.नि.द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण

पैसे पेड़ पर उगते हैं - माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

दिनांक 15 सितम्बर, 2026 को श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड ने सिमडेगा जिला का दौरा कर लाह किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएँ सुनी। मंत्री ने कहा कि किसानों को लाह की वैज्ञानिक विधि से खेती हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी मदद, टुलकिट्स और लाह बीहन उपलब्ध कराया जा रहा है। सिमडेगा जिले को लाह उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बीहन की समय पर उपलब्धता के लिए सिमडेगा में लाह बीहन ब्रुड बैंक स्थापित करने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। किसानों को क्लस्टर सिस्टम से जोड़कर लाह बीहन बैंक स्थापित करने, उनके लाह उपज को बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी है। माननीय मंत्री ने कहा कि लाह उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। "पैसे पेड़ पर उगते हैं" यह कहावत लाह की खेती एवं वनोपज ही चरितार्थ करेंगे। उन्होंने किसानो से आह्वान किया की आपके जिले में लाह के साथ–साथ वनोपज यथा करंज बीज, साल बीज, महुआ, चिरौंजी, हर्रे–बहेड़ा इत्यादि प्रचूर मात्रा में होता है। आप सभी सिद्धो–कान्हों कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ से जुड़कर अपनी वनोपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करें। उन्होंने किसानों को अवगत कराया की महुआ की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ रू. 3000 प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री के साथ माननीय विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी, कोलेबिरा विधानसभा, श्री अभिजीत कर, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान (ICAR-NISA), श्री राकेश कुमार सिंह, सचिव, सिद्धकोफेड, श्रीमती जगमनी टोपनो, प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्पफ एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।









प्रधान सम्पादक : श्री शशि रंजन (भा.प्र.से) निबंधक, स.स., झारखण्ड **सम्पादक :** श्री राकेश कुमार सिंह, प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
सम्पादकीय सहयोग : श्रीमती मनीषा तिर्की, व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रिंटर्स, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : गंगू टोली, बहू बाजार, राँची, **e-mail :** principalranchi@gmail.com, **Website :** http://ctcranchi.org